

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड कोटडा

क्रमांक:- 242

दिनांक 05/07/2022

श्रीमान् अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान जयपुर

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नेनबारा से वरडी खात के No Violation प्रमाण पत्र
व परीवेश पोर्टल से प्रस्ताव निरस्त कराने बाबत्।
प्रस्ताव संख्या :- FP/RJ/ROAD/38770/2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नेनबारा से वरडी खात में सड़क निर्माण के लिए वन विभाग से स्वीकृति बाबत् उपरोक्त प्रस्ताव संख्यानुसार परीवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्ताव इन्द्राज किये गये थे, परन्तु श्रीमान् संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक 2360-61 दिनांक 28.05.2020 (संलग्न) के द्वारा उक्त प्रस्ताव स्वीकृत नहीं करने की अनुशंका की गई है।

अतः उक्त प्रस्ताव को प्रत्याहारित (Withdraw) करने का श्रम करावें।



(आर.एन. मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड कोटडा

क्रमांक -

दिनांक-

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. ग्रामीण वृत्त उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर.एन. मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड कोटडा

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

क्रमांक पत्रा () वसु/मुवसं/2020-21/
निमित्त,

दिनांक :-

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Construction of B.T. Road from Nainbara to Vardi Khat Km 0/0 to
9/800at tehsil Jhadol, District – Udaipur (Rajasthan) (Proposal No.FP/ RJ/
ROAD / 38770/ 2019)


संदर्भ:- उप वन संरक्षक, उदयपुर का एफ0 तकनीकी/उवस/उदय/2019-20/
1190 दिनांक 24.02.2020 तथा 3055 दिनांक 27.05.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि **B.T. Road from Nainbara to Vardi Khat Road** सड़क के निर्माण हेतु वन विभाग की 7.0875 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव के क्रम में उप वन संरक्षक, उदयपुर की टिप्पणी अनुसार यह कार्यालय भी सहमत है कि प्रस्तावित सड़क के पूरे पहाड़ी क्षेत्र से गुजरने के कारण कटिंग/फिलींग होने से मृदा का कटाव होगा तथा पारिस्थितिकी तन्त्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। जिससे वन्य जीवों के स्वतन्त्र विचरण पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। वनक्षेत्र में एवं वन्यजीवों पर होने वाले दूरगामी दुष्परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए एवं अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के कारण उक्त प्रस्ताव स्वीकृत नहीं करने की अनुशंसा के साथ मूल प्रस्ताव चार प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार। (मूल प्रस्ताव तीन प्रतियों)


भवदीय,


(बी. प्रवीण)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

क्रमांक पत्रा () वसु/मुवसं/2020/ **2360-61** दिनांक: **28/5/2020**
प्रतिलिपि:- 1-उप वन संरक्षक, उदयपुर को उनके पत्रांक 1190दिनांक 24.2.2020
3055 दिनांक 27.05.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

2-सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उप खण्ड परसाद।


अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।